सं0 27012/2/2007

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 01/04/2008

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा किसी संवेदनशील सूचना के प्रकाशनों को विनियमित करने वाले दिशा-निर्देश ।

मुझे सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा राज्य की सुरक्षा जिसका भारत की संप्रभुता और एकता पर प्रभाव पड़ता हो को प्रकट करने वाली संवदेनशील सूचना संबंधित किताबें/लेखों के प्रकाशन सम्बन्धी घटनाओं पर निगरानी रखने की आवश्यकता विषयक इस विभाग के दिनांक 4.2.1993 के का.ज्ञा.सं.11017/48/92-अ.भा.से.(III) की ओर मंत्रालयों/विभागों/प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने और यह सुनिश्चित करने का निदेश हुआ है कि संगत नियमों/अनुदेशों में दिए अनुसार जहाँ और जब आवश्यक हो समय पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हो ।

2. इसके अतिरिक्त सरकार ने परिभाषित संवेदनशील संगठनों में कार्यरत अथवा स्थानांतरित पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक संवेदनशील सूचना के प्रकाशन से संबंधित उपर्युक्त अनुदेशों की समीक्षा की है । तदनुसार इस विभाग ने सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 संलग्न नियम 8 और फार्म 7 को दिनांक 31 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 258(ई.) के अन्तर्गत संशोधित किया गया है । अधिसूचना भारत के राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी । राजपत्र में मुद्रित अधिसूचना की प्रति इसके साथ संलग्न है ।

3. संशोधित नियमावली में प्रावधान किया गया है कि के.सि.सेवा (पेंशन) नियमावली के प्ररूप सं. 26 में शामिल यथा निर्धारित प्रपत्र में सूचना का अधिकार अधिनियिम, 2005 की दूसरी अनुसूची में शामिल किसी आसूचना या सुरक्षा से संबंधित किसी संगठन से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों से वचनबंध लिया जाए । पेंशन नियमावली प्ररूप सं. 7 में एक अतिरिक्त कॉलम अर्थात् कॉलम 16-ए जोड़कर उसमें भी संशोधन किया गया है ।

4. प्रतिनियुक्ति इत्यादि के पूरे होने के पश्चात् वर्णित संगठनों से स्थानांतरित कर्मचारियों के मामले में उनके स्थानांनतरण के समय पर वचनबंध दो प्रतियों में लिया जाए । वचनबंध की एक प्रति कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में उसकी उसमें प्रविष्टि के लिए और दूसरी प्रति वर्णित संगठन में रिकार्ड के लिए रखी जाएगी ।

5. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की तरफ से ऐसे वचनबंध देने के अनुपालन में कोई असफलता पाई जाती है तो उसके द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत किया गया कदाचार समझा जाएगा । इसके अलावा संबंधित अधिकारी पेंशन कटौती/आहरण के रूप में समुचित शास्ति के लिए और वचनबंध की उपेक्षा करने की स्थिति में अभियोजन के लिए बाध्यकारी होगा । अतः पेंशन/कुटुम्ब पेंशन तथा उपदान के लिए जॉच सूची ओर फार्म में इस आशय का एक कॉलम होगा कि क्या सम्बन्धित व्यक्ति ने वर्णित संगठनों में से किसी में कार्य किया था और क्या उसके द्वारा दिया गया वचनबंध रिकार्ड में रखा है ।

6. वित्त मंत्रालय इत्यादि से अनुरोध है कि उनके मार्गदर्शन और अनुपालन हेतु इन अनुदेशों को नोट कर लें ।

7. जहां तक आई.ए. एंड ए.डी. में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है तो इन्हें नियंत्रक और महालेखाकर कार्यालय के परामर्श से जारी किया जा रहा है ।

(सी.ए. सुब्रह्मणियम)
निदेशक (ई.-II)
दूरभाष: 23093180

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में सूचित सभी संगठन।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2008/चैत्र 11, 1930

No. 177] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2008/CHAITRA 11, 1930

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2008

सा.का.नि. 258(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2008 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में–

(1) नियम 8 में,–

(i) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(3अ)(क) उप-नियम (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकारी सेवक जो किसी आसूचना या सुरक्षा से संबंधित कोई संगठन में जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित है, उपर्युक्त संगठन ने विभाग प्रमुख से पूर्विक अनापत्ति के बिना, किसी संवेदनशील सूचना से संबंधित किसी सामग्री का सेवानिवृत्ति के पश्चात्, जिसका भारत की संप्रभुता या अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, राज्य की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक या विदेशी राज्यों के साथ संबंधों में या किसी अपराध के उद्दीपन को बढ़ाता है, प्रकाशन नहीं करेगा ।

(ख) सरकारी सेवक जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में किसी आसूचना या सुरक्षा से संबंधित किसी संगठन में कार्य कर रहा था, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप-26 में उपर्युक्त निबंधनों की बाबत वचनबंध देगा और सेवानिवृत्ति सरकारी सेवक के द्वारा ऐसी वचनबंध देने में कोई अनुपालन में कोई असफलता पाई जाती है तो उसके द्वारा इन नियमों के अधीन किया गया अवचार समझा जाएगा;"

(ii) उप-नियम (5) के पश्चात् स्पष्टीकरण में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(ग)"प्रकाशन" पद के अंतर्गत प्रेस या इलैक्ट्रानिक माध्यम या किसी पुस्तक, पत्र, पुस्तिका, पोस्टर या किसी भी प्ररूप में कोई अन्य दस्तावेज सम्मिलित है ।

(घ) "सूचना" पद के अंतर्गत किसी प्ररूप में कोई सामग्री जिसके अंतर्गत अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेसविज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदाएं, रिपोर्ट, पेपर, नमूने, मॉडल और किसी इलैक्ट्रानिक प्ररूप में सरकारी सेवक द्वारा रखे गए या जब तक वह सेवा में था उस तक पहुंच भी है ।

(2) प्ररूप-7, में, स्तंभ 16 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"16-क केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 8 के उप-नियम (3क) में वर्णित किसी संगठन में कोई कार्यरत सेवानिवृत्त सरकारी सेवक कार्यरत था और उसने चाहे प्ररूप-26 में अभिलेखों में रखे जाने के लिए अपना वचनबंध दे रखा है ।"

[फा. सं. 27012/2/2007-स्था. (ए)]

सी.बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) का.आ. संख्यांक 934, तारीख 1-4-1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किया गया,–

1. का.आ. 254 तारीख 4 फ़रवरी, 1989
2. का.आ. 970 तारीख 6 मई, 1989
3. का.आ. 2467 तारीख 7 अक्तूबर, 1989
4. का.आ. 899 तारीख 14 अप्रैल, 1990
5. का.आ. 1454 तारीख 26 मई, 1990
6. का.आ. 2329 तारीख 8 सितम्बर, 1990
7. का.आ. 3269 तारीख 8 दिसम्बर, 1990
8. का.आ. 3270 तारीख 8 दिसम्बर, 1990
9. का.आ. 3273 तारीख 8 दिसम्बर, 1990
10. का.आ. 409 तारीख 9 दिसम्बर, 1990
11. का.आ. 464 तारीख 16 फरवरी, 1991
12. का.आ. 2287 तारीख 7 सितम्बर, 1991
13. का.आ. 2740 तारीख 2 नवंबर, 1991
14. सा.का.नि. 677 तारीख 7 दिसम्बर, 1991
15. सा.का.नि. 399 तारीख 1 फरवरी, 1992
16. सा.का.नि. 55 तारीख 15 फरवरी, 1992
17. सा.का.नि. 570 तारीख 19 दिसम्बर, 1992
18. सा.का.नि. 258 तारीख 13 फरवरी, 1993
19. सा.का.नि. 1673 तारीख 7 अगस्त, 1993
20. सा.का.नि. 499 तारीख 11 सितम्बर, 1993
21. का.आ. 1984 तारीख 25 सितम्बर, 1993
22. सा.का.नि. 389(अ) तारीख 18 अप्रैल, 1994
23. का.आ. 1775 तारीख 19 जुलाई, 1997
24. का.आ. 259 तारीख 30 जनवरी, 1999
25. का.आ. 904(अ) तारीख 30 सितम्बर, 2000
26. का.आ. 717(अ) तारीख 27 मई, 2001
27. का.आ. 4000 तारीख 28 दिसंबर, 2002
28. का.आ. 860(अ) तारीख 28 जुलाई, 2003
29. का.आ. 1483(अ) तारीख 30 दिसम्बर, 2003
30. का.आ. 1487(अ) तारीख 14 अक्तूबर, 2005
31. सा.का.नि. 723(अ) तारीख 23 नवम्बर, 2006

प्ररूप-26

[नियम 8 (3अ)]

वचनबंध

मैं, ... जो ..... [संगठन का नाम (सूचना का अधिकार अधिनियम), 2005 की दूसरी अनुसूची में अंतर्विष्ट संगठन] में ..... के पद पर तारीख ..... की अवधि के लिए कार्यरत था, मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि सक्षम प्राधिकारी के पूर्विक अनुमोदन से, जब मैं सेवा में या सेवा से मेरी सेवानिवृत्ति के पश्चात्, उपर्युक्त संगठन में मेरे कार्यकरण के फलस्वरूप मेरे द्वारा जब कोई सूचना प्राप्त की गई है और जिससे (1) भारत की संप्रभुता और एकता, (2) सुरक्षा, (3) सामरिकता, (4) वैज्ञानिक, या (5) राज्य के आर्थिक हितों, या (6) विदेशी राज्यों के संबंध में, या (7) जिससे किसी अपराध का उद्दीपन बढ़ सकता हो, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले, का किसी भी रीति में प्रकाशन नहीं करूंगा । यह घोषणा, आचरण नियमों, पेंशन नियमों, यथास्थिति, शासकीय गुप्त बात, राष्ट्रीय सुरक्षा और आसूचना संगठन (अधिकार निबंधन) अधिनियम से संबंधित अपराधों से संबंधित विधियों के निबंधनों में मेरे उत्तरदायित्वों और दायित्वों पर विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी । मैं यह और सहमति देता हूं कि मेरे द्वारा उपर्युक्त पत्र के असफल रहने की दशा में, सरकार के विनिश्चय में वह उपर्युक्त वर्णित सातों पहलुओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, मुझ पर बाध्यकारी होगा ।

2. मुझे जानकारी है कि मेरे सेवानिवृत्त होने के पश्चात् संबंधित पेंशन नियमों के निबंधनों में मुझे जो पेंशन अनुदत्त की जा रही है, दिए गए इस वचनबंध की किसी असफलता के लिए पूरे या उसके किसी भाग को रोका या वापिस लिया जा सकेगा ।

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर

स्थान .....

तारीख .....